"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2018 — माघ 18, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-21/2016/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सेवा भर्ती विनियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 5 एवं 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5 क	स्टॉफ आफिसर	1	आयोग	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ ग्रेड वेतन 6600
14 क	सहायक प्रोग्रामर (संविदा आधार)	2	आयोग	तृतीय श्रेणी	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अनुसार"

2. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 5 एवं 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमश: निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5 क	स्टॉफ आफिसर	1	-	100%	-	निज सचिव से पदोन्नति द्वारा
14 क	सहायक प्रोग्रामर (संविदा आधार)	2	-	-	-	संविदा आधार पर"

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमश: निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4 क	सहायक प्रोग्रामर (संविदा आधार)	तदैव	तदैव	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में अभियांत्रिकी उपाधि."	-

4. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमश: निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1 क	निज सचिव	स्टॉफ आफिसर	05 वर्ष	आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर नामांकित किए जायेंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 6-21/2016/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-21/2016/एक (1), दिनांक 7-2-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 7th February 2018

NOTIFICATION

No. F 6-21/2016/1/One. — In exercise of the powers conferred by clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Service Commission Services Recruitment Regulations, 2017, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said regulations,-

1. In Schedule-I, after serial number 5 and 14 and entries relating thereto respectively, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5A	Staff Officer	1	Commission	Class-I	15600-39100+ Grade Pay 6600
14A	Assistant Programmer (Contract Base)	2	Commission	Class-III	As per Chhattisgarh Civil Sewa (Sanvida Niyukti) Niyam, 2012"

2. In Schedule-II, after serial number 5 and 14 and entries relating thereto respectively, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5A	Staff Officer	1	-	100%	-	By Promotion from Personal Secretary
14A	Assistant Programmer (Contract Base)	2	-	-	-	Contract Basis"

3. In Schedule-III, after serial number 4 and entries relating thereto respectively, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4A	Assistant Programmer (Contract Base)	do	do	First Division Graduation Degree in Computer Application from recognized University/Deemed University/Open University. Or First Division Engineering Degree in Computer Science/Information Technology from recognized University/Deemed University/ Open University."	-

4. In Schedule-IV, after serial number 1 and entries relating thereto respectively, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1A	Personal Secretary	Staff Officer	05 Years	To be nominated by Hon'ble Chairman of Commission, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.